मध्यप्रदेश विधान सभा

जून–अगस्त, 1990 सत्र

# दैनिक कार्य सूची

## मंगलवार, दिनांक 31 जुलाई, 1990 (श्रावण 9, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्व श्री चन्द्रप्रताप सिंह/ रामचन्द्र सिंह देव, सदस्य, सरगुजा जिले के चिरमिरी क्षेत्र में डेंगू बुखार से मौतें होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते/ठाकुर डालसिंह मर्सकोले, सदस्य, बरगी बांध का जल स्तर बढ़ने से अनेक ग्राम प्रभावित होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री चन्द्रशेखर साहू, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सप्तम, अष्टम, नवम् तथा दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

## 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्यः—

(क) भोपाल शहर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम से प्रभावित नादरा बस स्टैण्ड एवं आजाद मार्केट के लघु व्यवसायियों को मुआवजा दिलाये जाने एवं पुनर्स्थापित किये जाने के संबंध में 53 व्यक्तियों की,

(ख) भोपाल शहर में केपीटल प्रोजेक्ट गैस राहत संभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों को पुनः प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 65 व्यक्तियों की,

(ग) भोपाल शहर के सराय सिकंदरी जुमेराती के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाई गई दुकानों को उचित स्थान पर पुनःस्थापित करने के संबंध में 23 व्यक्तियों की, तथा

(घ) भोपाल शहर के गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी इकाई में कार्यरत महिला कर्मचारियों को नियमित करने एवं समान काम के बदले समान वेतन दिये जाने के संबंध में 85 महिलाओं की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री मुन्नासिंह भदोरिया, सदस्यः—

(क) जिला भिंड तहसील अटेर ग्राम रमा में नल योजना प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 7 व्यक्तियों की.

(ख) जिला भिंड के ग्राम भदाखुर की पाईप लाईन, पानी की टंकी तथा मोटर सुधरवाकर पीने का पानी प्रदाय कराने के संबंध में 7 व्यक्यिों की,

(ग) जिला भिंड तहसील अटेर के ग्राम किशपुरा में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में 22 व्यक्तियों की, तथा

(घ) जिला भिंड, तहसील अटेर के ग्राम किशपुरा में इंटर कालेज का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 37 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री बद्रीलाल सोनी, सदस्य:—

(क) जिला शाजापुर, तहसील सुसनेर के ग्राम डोंगरगांव की जयकिसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन किये जाने के संबंध में 74 व्यक्तियों की,

(ख) जिला शाजापुर, तहसील सुसनेर के ग्राम डोंगरगांव में कालीसिंध नदी पर स्टापडेम बनवाये जाने के संबंध में 79 व्यक्तियों की, तथा

(ग) जिला शाजापुर, तहसील नलखेड़ा के ग्राम खेलागांव के शासकीय प्राथमिक शाला के समीप की भूमि पर से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का अनाधिकृत कब्जा हटाने के संबंध में 25 व्यक्तियों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री रामराव महाले, सदस्य :—

(क) जिला छिन्दवाड़ा, तहसील सौंसर के ग्राम रामाकोना से सितापार तक रोड निर्माण किये जाने के संबंध में 20 व्यक्तियों की,

(ख) जिला छिन्दवाड़ा, तहसील सौंसर के ग्राम लोहांगी में हाईस्कल प्रारम्भ करने के संबंध में 21 व्यक्तियों की, तथा

(ग) जिला छिन्दवाड़ा' तहसील सौंसर के ग्राम रामपेठ में हाईस्कूल प्रारम्भ किये जाने के संबंध में 18 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे .

(5) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल शहर के मॉडल स्कूल, साऊथ टी. टी. नगर के सामने बने पार्क का निर्माण कराये जाने के संबंध में 17 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(6) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सदस्य, जिला मण्डला के अन्तर्गत आदिवासी विकास समिति द्वारा संचालित बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बबलिया (जेवरा) को शासनाधीन करने के संबंध में 158 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(7) श्री भवानी सिंह, सदस्य, जिला विदिशा के लटेरी कोर्ट का संबंध सिरोंज कोर्ट से रखे जाने के संबंध में 21 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(8) श्री रामविचार, सदस्य जिला सरगुजा, के रामचन्द्रपुर में विकास खण्ड कार्यालय स्थापित करने के संबंध में 34 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(9) श्री पूरनसिंह पलैया, सदस्य, जिला ग्वालियर तहसील भाण्डेर के ग्राम केवलारी के पास व्यास के कुआ से मोठ मार्ग को पूर्ण कराये जाने के संबंध में 11 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे .

(10) श्री मोहर सिंह ठाकुर, सदस्य, जिला विदिशा के गुलाबगंज सिविल डिस्पेंसरी का भवन निर्माण, 10 पलंग लगाने एवं एक लेडी डॉक्टर की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में 30 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

## 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति व्यापार आजीविका और सेवा-योजन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 23 सन् 1990) के पुरः स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरः स्थापित करेंगे.

1 घंटा 30 मिनट

(2) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान विधेयक, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मिनट

(3) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 20 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मिनट

(4) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताब करेंगे कि मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 21 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

## 6. संविहित संकल्प

1 घण्टा

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :--

"यह सदन मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल द्वारा विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 65 के अन्तर्गत ऋण लेने की अधिकतम धन राशि रुपये 2850 करोड़ (रुपये अट्ठाईस सौ पचास करोड़) शासन द्वारा नियत किये जाने के लिये अनुमोदन प्रदान करता है."

1 घण्टा

(2) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :--

"यतः दिनांक 28-12-73 को इस विधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस आशय का संकल्प पारित किया था कि इस राज्य में जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्य प्रदता को बनाये रखने या पुनः स्थापित करने संबंधी विषयों का विनियमन संसद विधि द्वारा करें;

और यतः उक्त संकल्प के आधार पर, संसद ने इस राज्य के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं.6) अधिनियमित किया था;

और यतः पूर्वोक्त अधिनियम के कारण से हुये व्यावहारिक अनुभव के आधार पर यह आवश्यक समझा गया था कि उसमें कतिपय संशोधन किये जायें और तदनुसार संसद ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 53) अधिनियमित किया है ;

और यतः यह वांछनीय है कि उक्त संशोधन अधिनियम को मध्यप्रदेश राज्य में लागू किया जाये;

अतएव, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित उसके खण्ड (1) के अनुसरण में, यह विधान सभा यह संकल्प पारित करती है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 53) को मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाये."

निर्धारित समय



30 मिनिट (3) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, महिला एवं बाल विकास मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी:—

स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद पिछले तैंतालीस वर्ष से निरन्तर किए जा रहे प्रयासों के उपरान्त भी समाज में बालिकाओं के प्रति बरती जाने वाली उपेक्षा और भेदभाव में आवश्यक कमी नहीं हो पाई है.

आज भी अनेक घर-परिवारों में बालिकाओं की देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है और बालकों की अपेक्षा उनका महत्व कम समझा जाता है. बालक की तुलना में बालिका को उतना लाड़-दुलार, सम्मान और अधिकार नहीं दिया जाता, जिसकी वह हकदार है. उसकी शिक्षा प्राप्ति, खेलकूद, घूमने-फिरने पर अनेक पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिससे उसके शरीर और व्यक्तित्व का पूरा और संतुलित विकास नहीं हो पाता. जिसका असर न केवल उस पर बल्कि भावी पीढ़ी पर भी पड़ता है. बाल विवाह जैसी कुप्रथा के कारण उसे अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता है. बालिकाओं की यह स्थिति सदन के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है. अतः यह सदन बालिकाओं के प्रति बरती जाने वाली उपेक्षा और भेदभाव को दूर करने, उन्हें समानता का अधिकार दिलाने, उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा पर अधिक ध्यान देने, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने, बालिकाओं के समुचित व संतुलित विकास के लिए योग्य वातावरण उपलब्ध कराने, उनके व्यक्तित्व और गरिमा का सम्मान करने, तथा इस हेतु समाज के सोच, चिंतन और व्यवहार में परिवर्तन लाने का संकल्प करता है.

30 मिनट

## 7. नियम 142-क के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अल्पकालीन चर्चा

प्रदेश के अनेक नगरों में चलाये जा रहे निजी गर्भजल परीक्षण केन्द्रों को तत्काल बन्द किया जाकर दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक 30 जुलाई, 1990.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

शाकेमुभो—359—सविस—30-7-90—1,000.